

**मुख्य अभियंता-6, पटना का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

/पटना, दिनांक-11.09.25

पत्रांक- 11/PMWS-6 पटना 1- 288/25

3.212

प्रेषण,

श्री 0 काम निरीक्षक कागुल
मुख्य अभियंता-6,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रबंधन, अरेराज।

विषय: शीर्ष MMGSY(AWSESH-SC) अन्तर्गत कार्य प्रणवदर, अरेराज के अधीन MMGSY(AWSESH-SC) Areraj-153 तक
पथ निर्माण (Tender ID-141131) कार्य के निविदा निष्पादन के संबंध में।

प्रस्ताव-अभियंता प्रमुख-सह-अवर आयुक्त-सह-निरीक्षक सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का
पत्रांक-BRRDA(HQ)MMGSY-AWSESH-398/23 2383 अर्थात् दिनांक-02.09.2025

प्रस्ताव,

शीर्ष MMGSY(AWSESH-SC) अन्तर्गत कार्य प्रणवदर, अरेराज के अधीन MMGSY(AWSESH-SC) Areraj-153 तक
पथ निर्माण (Tender ID-141131) कार्य के निविदा के विविध बिंदु में सफल निविदाकार Kahlitj Construction (6185222)

को उनके द्वारा उद्घाटन दर जो कि परिमाण विपत्र की दर से 12.62 प्रतिशत कम है अर्थात् कुल राशि 6,08,62,287.00 (छ
करोड़ आठ लाख बीस हजार भी सौ सत्तासी) को मात्र पर कार्यदित एवं आगामी अनुमति के आशय में यह कार्य आवंटित किया
जाता है। इस निविदा के निष्पादन पर विभागीय निविदा समिति की सहमति प्राप्त है।

2. निविदा की स्वीकृति शिर्ष इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधार नहीं होगा।
3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रबंधन, अरेराज के संवेदक के द्वारा एकरारनामा के शिर्ष जमा की गई राशि एवं निविदा के समय
अग्रचन के रूप में जमा किये गये संबंधित एनएएससी0/पासबुक/किताब डिपोजिट/बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन करवाकर
प्रबंधनीय कार्यालय में अभिलेखित करेंगे एवं कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व अग्रचन की राशि के सत्यापन से संबंधित कगनवदर
अपोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. एकरारनामा के पूर्व Bid Validity की अवधि विस्तार की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।

5. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निम्नलिखित रूप से प्राप्त
कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय कि संवेदक डीनार सूची से मुक्त है।

6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रतर कार्यादेश से पूर्व मती भीति आवश्यक हो लेंगे कि पथ का इस्तित्व हेतु विमान
द्वारा अनापति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।

7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत बीड के आधार पर दिया गया है, कार्य करता समय अगर इसमें कमी पड़े
जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।

8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्राथमिक स्वीकृति तथा निविदा
आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विरोध शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया
जायेगा।

9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वयं कर लेंगे एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में
यस्तुस्थिति से तत्क्षण अपोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्यवाई की जायेगी।

10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि
इसमें कोई त्रुटि न हो।

11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उनबंद से पूरे
तरह आवश्यक हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्राथमिक स्वीकृति के अप्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित
करायेंगे।

12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित संवेदक से एकरारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम
प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

13. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य मानक विधिस्थितियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि
के अंदर पूरा की जाय।

14. कार्य समाप्ति की अवधि परिमाण विपत्र के अनुसार होगी।

15. कार्यपालक अभियंता कार्य आवंटित किये गये संवेदक से 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके
अग्रचन की राशि जप्त कर ली जाय।

16. इस कार्य का व्यय विभाग द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति में अंकित शीर्ष अन्तर्गत होगा।

17. एकरारनामा के समय प्राक्कलन के अनुसार इस कार्य को पूरा करने हेतु संवेदक से मदवार कार्य योजना एकरारनामा के समय
प्राप्त किया जाय तथा उस कार्य योजना की प्रति संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता को भी उपलब्ध कराया जाय ताकि

M/S KSHITIJ CONSTRUCTION

Kshiti
Raj
PARTNER

Scanned with OKEN Scanner

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Areraj

Scanned with OKEN Scanner

कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता निर्धारित रागम के रागम भवना प्रगति का आकलन कर कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक को सूचित प्रत्येक 15 दिनों पर करेंगे। अगर संवेदक द्वारा निर्धारित रागम के अन्दर उगत गद के मात्रा का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो कार्यपालक अभियंता संवेदक को विवरण देंगे। कार्यपालक अभियंता अगर उक्त निदेश का पालन नहीं करते हैं तो वे स्वयं कार्यवाई हेतु हीटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं

18. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल प्रति आवरण कार्यवाई हेतु हीटाई जाती है। आप निविदा कागजातों एवं तुलनात्मक विवरणी के जांचोपरान्त आप आवरण निदेशों को अपने रातर से निर्गत करेंगे।
19. एकरारनामा से पहले निविदाओं द्वारा दिये गये कागजात का शरणापन उनके मूल कागजात से मिलान कर ली जाय।
20. इस निविदा की राशि में अगर कोई अंतर होता है तो इसकी सूचना पुराना द्वारा कार्यालय को दी जाय।
21. कार्यपालक अभियंता, एकरारनामा करने के पूर्व संवेदक का निमंघन राख्या पूर्ण पता एवं दूरगाव राख्या कार्यदेश में अंकित करेंगे तथा इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
22. परिमाण विपत्र की दर से कम दर उद्घाटन करने वाले संवेदक से विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश के आलोक में अतिरिक्त चांछित परफॉरमेंस सिक्युरिटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
23. किसी भी परिस्थिति में निजी जमीन पर निर्माण नहीं कराया जाय।
24. प्रत्येक 15 दिनों पर संवेदक से स्वहस्ताक्षरित विपत्र प्राप्त कर रथल से मिलान कर मापी पुस्तिका में मापी दर्ज कर मुगतान सुनिश्चित करेंगे।
25. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज को निदेशित किया जाता है कि विभागीय पत्रांक-मु0आ0-4(मु0) विविध-23-291/2014-131 पटना दिनांक-13.12.2019 के आलोक में पत्र प्राप्ति के 24 घंटा के भीतर Letter of Acceptance (LOA) संबंधित संवेदक को निर्गत कर इसकी सूचना इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
26. संवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक-489 अनु0 दिनांक-28.01.2021 को अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगे।
27. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
28. एकरारनामा से पूर्व नियमानुसार Character Certificate and GST Clearance Certificate प्राप्त कर लेंगे। इसका प्रतिवेदन अघोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
29. कार्य के कार्यान्वयन में JV के सभी भागीदार की भागीदारी निविदा में दिये गये JV Agreement के अनुरूप होनी चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल हेतु सक्षम प्राधिकार के अनुमति प्राप्त करेंगे।
30. निविदा में यंत्र-संयंत्र एवं अभियंताओं के संबंध में दिये गए शपथ पत्र के अनुसार एकरारनामा करने से पहले इनके कागजात की जांच कर लेंगे। कार्य स्थल पर यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती सुनिश्चित करायेंगे। अघोहस्ताक्षरी द्वारा किये गए निरीक्षण के क्रम यदि यंत्र-संयंत्र एवं अभियंता की तैनाती में कमी पायी पायेगी तो नियमानुसार संवेदक पर कार्यवाई सुनिश्चित किया जायेगा।
31. प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(Signature)
11.09.25

मुख्य अभियंता-5, पटना
/पटना, दिनांक- 11.09.25

ज्ञापांक - 3212

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना, को सूचनार्थ समर्पित।

(Signature)
11.09.25

मुख्य अभियंता-5, पटना
/पटना, दिनांक- 11.09.25

ज्ञापांक - 3212

प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
11.09.25

मुख्य अभियंता-5, पटना

/पटना, दिनांक- 11.09.25

ज्ञापांक- 3212

प्रतिलिपि: सहायक आई0टी0 मैनेजर, मुख्य अभियंता-5 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(Signature)
11.09.25

मुख्य अभियंता-5, पटना

M/S KSHITU CONSTRUCTION

(Signature)
PARTNER

Scanned with OKEN Scanner
Rural Works Department
Works Division, Areraj

Scanned with OKEN Scanner